(राजस्थान सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाराँ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 20/2024

पंजीकरण संख्या :– 2024/76

बउनवान

रमेशचन्द्र आयु 66 वर्ष पुत्र बिरधीलाल जाति माली निवासी देवरीजोध तहसील छीपाबड़ौद जिला बारॉ (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छीपाबडौद (रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :– 1. श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 08.07.2024

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद के प्रकरण संख्या 1153/2024 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट बउनवान सरकार बनाम रमेशचन्द मे पारित निर्णय दिनांक 08.04.2024 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम देवरीजोध की भूमि किस्म बंजड बारानी सम्वत् 2080 में खसरा नम्बर 425 की रकबा 8.01 बीघा (1.32 है0) जो कि मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण विराजमान अन्धेरबाग छीपाबडौद के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर श्री रमेशचन्द पुत्र बिरधीलाल जाति माली निवासी देवरीजोध ने फसल सरसों, गेहूँ की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर 449/– रूपये अर्थदण्ड के रूप मे जुर्माना आरोपित किया है एवं उक्त भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 23.04.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मेमो के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय से अपीलांट को नोटिस प्राप्त होने पर अपीलांट द्वारा जवाब पेश किया था तथा जवाब में अपीलांट ने बताया था कि उक्त आराजी राजकीय सरकारी भूमि नहीं है तथा उक्त आराजी के संबंध में सरकारी भूमि के समान धारा 91 एल.आर.ए. के तहत अतिक्रमण की कार्यवाही नहीं की जा सकती है, जो कालू बनाम प्रेमदास के निर्णय से प्रमाणित है। उक्त प्रकरण में विवादित आराजी मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी अंधेरबाग छीपाबड़ौद रिज्यूम की खातेदारी में दर्ज है जो राजकीय सरकारी भूमि नहीं है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान [illegible] विभाग के परिपत्र क्रमांक 3(2) राजस्थान–6/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 के बिं[illegible] के प्रावधानों का हवाला देकर मंदिर भूमि का अतिक्रमण व तहसीलदार कार्य[illegible]त किया है जबकि उक्त परिपत्र को उपशासन सचिव द्वारा [illegible] राजस्व(ग्रुप–6) के विभाग के परिपत्र क्रमांक 3(2) राजस्थान–6/2007/पार्ट/101 दिनांक 18.09.2019 को उक्त परि[illegible] संशोधन कर स्पष्ट किया गया था कि जिन काश्तकारों को जागीरी भू[illegible] पर खातेदारी अधिकार प्रा[illegible] एवं उन्हें मंदिरों की माफी भूमि को जागीरी में दी हुई है व जागीरों के पुनर्ग्रहण के साथ–साथ ऐसे काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिये गये है जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट विवादित आराजी पर धारा 9 जागीरी एक्ट के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी एवं उक्त संबंध में अपीलांट ने खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही पेश की हुई है। उक्त तथ्यों पर गौर न कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.08.07 13:51:23 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट का उक्त आराजी पर काफी लंबे समय से कब्जा काश्त है तथा अपीलांट ने उक्त आराजी को काबिल काश्त बनाया है। उक्त आराजी मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी अंधेरबाग छीपाबड़ौद रिज्यूम की खातेदारी में दर्ज है तथा अपीलांट व उसके पूर्वजों का सन् 1948 से उक्त आराजी पर कब्जा काश्त है। अपीलांट के पूर्वजों को दिनांक 18.11.1948 को कोटा जागीर द्वारा अपीलांट के परदादा श्री बिहारी पुत्र दयाराम माली निवासी देवरीजोध को जैली काश्तकार के रूप में कब्जे में संभलाई थी जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड में खसरा गिरदावरी संवत् 2018 से 2021 में दर्ज है एवं उसके बाद की जमाबंदियों में अपीलांट के पूर्वज श्री बिहारी बेटा दयाराम का नाम सिकिमी काश्तकार के रूप में दर्ज है। इस प्रकार उक्त आराजी पर निरंतर निर्बाध रूप से अपीलांट व उसके पूर्वज काबिज काश्त चले आ रहे है जिन्हें धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही कर बेदखल नहीं किया जा सकता है क्योंकि उक्त बिन्दुओं पर विभिन्न न्यायालयों में नियमित वाद जेरकार है। अपीलांट का उक्त संबंध में एक वाद न्यायालय एस.डी.ओ. कोर्ट, छबड़ा बउनवान रमेशचंद्र बनाम द्वारकादास वगैराह अंतर्गत 88,92(ए) व 188 आर.टी.एक्ट एवं धारा 9 जागीर एक्ट, 1952 के तहत विचाराधीन है जिसमें आगामी पेशी 22.04.2024 नियत है। इस प्रकार उक्त आराजी से संबंधित एक अन्य प्रकरण संख्या 45/23 मंदिर मूर्ति श्री लक्ष्मीनारायण जी बनाम रमेशचंद्र वगैराह अंतर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट में श्रीमान् एस.डी.ओ. कोर्ट, छीपाबडौद में जैरकार है जिसमें आगामी पेशी दिनांक 27.05.2024 नियत है। उक्त आराजी के संबंध में न्यायोचित विस्तृत निर्णय उक्त प्रकरणों में किये जाने शेष है तथा उक्त नियमित वादों के माध्यम से विवादित आराजीयात पर अपीलांट के हक व अधिकार तय होने है। इस कारण बिना उक्त वादों में निर्णय पारित हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध अतिक्रमी मानते हुए 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही कर बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया है, जो अनुचित तथा किसी भी प्रकार से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है तथा निरस्तनीय है।

अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ का न्यायालय निर्णय दिनांक 08.04.2024 प्रकरण संख्या 1153/2024 न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद बउनवान सरकार बनाम रमेशचंद्र कार्यवाही धारा 91 एल.आर.एक्ट निरस्त फरमाया जावें।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट को वाके ग्राम देवरीजोध की भूमि किस्म बंजड बारानी सम्वत् 2080 में खसरा नम्बर 425 की रकबा 8.01 बीघा (1.32 है0) जो कि मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण विराजमान अन्धेरबाग छीपाबडौद के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर श्री रमेशचन्द पुत्र बिरधीलाल जाति माली निवासी देवरीजोध ने फसल सरसों, गेहूँ की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर 449/— रूपये अर्थदण्ड के रूप मे जुर्माना आरोपित किया है एवं उक्त भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया है। अपीलांट को विधिवत् नोटिस जारी किया गया जिसकी तामील करवाई गई। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जरिये अभिभाषक श्री अशोक कुमार पारीक के जवाब प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का पूर्ण अवसर मिला है।

प्रकरण में उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलांट को वाके ग्राम देवरीजोध की भूमि किस्म बंजड बारानी सम्वत् 2080 में खसरा नम्बर 425 की रकबा 8.01 बीघा (1.32 है0) जो कि मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण विराजमान अन्धेरबाग छीपाबडौद के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर श्री रमेशचन्द पुत्र बिरधीलाल जाति माली निवासी देवरीजोध ने फसल सरसों, गेहूँ की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर 449/— रूपये अर्थदण्ड के रूप मे जुर्माना आरोपित किया है एवं उक्त भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया है। अपीलांट को विधिवत् नोटिस जारी किया गया जिसकी तामील करवाई गई। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जरिये अभिभाषक श्री अशोक कुमार पारीक के जवाब प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का पूर्ण अवसर मिला है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद के प्रकरण संख्या 1153/2024 किस्म अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट बउनवान सरकार बनाम रमेशचंद मे पारित निर्णय दिनांक 08.04.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक **08.07.2024** को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.08.07 13:51:23 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ